फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाड़मेर) मुकाम बायतु

बाबुड़ी   बनाम   तेजाराम वगैरा

किस्म मुकदमा धारा 212 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 नं. 189/21 सन 2021

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
08/07/2021	प्रार्थीनी की ओर से वकील श्री नरपत पूनड द्वारा यह प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थीनी को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को न्यायहित में सुना गया। पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्यनन किया गया। प्रार्थीनी व विप्रार्थीगण संख्या 01 से 07 की पैतृक भूमि मौजा चिमोणियों की ढाणी पटवार मण्डल कुम्पलिया तहसील गिड़ा में आई हुई है। विप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीनी के कब्जे काश्त व हक हिस्से की भूमि में दखलअन्दाजी, हस्तक्षेप करने, भूमि का बैचान करने पर आमदा है और यदि ऐसा हो गया तो वाद बहुलता बढ़ेगी। प्रार्थीनी की एकपक्षीय बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति एवं प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीनी के पक्ष का बनना प्रतीत होता है। अतः विप्रार्थीगण को आगामी पेशी तारीख 23/08/2021 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित आराजी मौजा चिमोणियों की ढाणी पटवार मण्डल कुम्पलिया तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 189/95, 196/95, 93, 94 व 95 रकबा क्रमशः 2.6547, 1.6187, 0.0405, 0.0728 व 6.3374 हैक्टेयर कुल रकबा 10.7241 हैक्टेयर की भूमि में प्रार्थीनी के हक हिस्से की भूमि में विप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखल–अदांजी, हस्तक्षेप व बाधा कारित नहीं करे। न ही किसी प्रकार का कोई कच्चा या पक्का निर्माण कार्य करें न ही सेढों पर प्रार्थीनी के हिस्से की जमीन पर तारबंदी आदि करे न ही भूमि का बैचान, रहन आदि करे। वर्तमान मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। इसी माफिक विप्रार्थीगण संख्या 1 से 07 पाबन्द रहे। विप्रार्थीगण को स्थगन नोटिस जारी होकर मिसल वास्ते जवाब दिनांक 23/08/2021 को पेश हों। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
23/08/2021	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल शुदा तामिल अप्राप्त। नीलाम पीठासीन अधिकारी अवकाश में पधारे हुए है अतः मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 29/11/21 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:18:15 IST
Reason: SelfAttested

29/11/21 प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण नोटिस तामील अदम तामील मशाहत। अभाव पीठासीन अधिकारी प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021 में व्यस्त होने से मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक 15/12/21 को पेश हो।

06/12/2021 पत्रावली आज प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर आज पेशी तारीख पर तलब की गई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता का मूल वाद जरिये विड्रॉल खारिज हो चुका है इसलिए आवेदन का कोई औचित्य नहीं रहता है। अतः उक्त स्थगन आवेदन को इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) जायल

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:18:15 IST
Reason: SelfAttested